Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767:
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 63/2024

श्रीमती संगीता पत्नी राहुल दास
निवासी– शांति नगर (नागाघेर)
रानीपोखरी ग्रान्ट, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांकः 25.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत संयोजन निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादिनी का कथन है कि प्रार्थीनी जन्म से रानीपोखरी ग्रान्ट (शांतिनगर) उत्तराखण्ड की निवासी है, पहले हम लोग कच्ची झोपडी बना कर अपना गुजर–बसर कर रहे थे, हमने कई वर्ष पहले अपना पक्का घर बना लिया है। मुझे अपने मकान में बिजली कनेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है परन्तु मेरे पास जमीन सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज न होने के कारण मेरा बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो कि मेरा सुखाधिकार भी है जबकि आस--पास लोगों का सभी का विद्युत कनेक्शन हो रखे है।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि प्रार्थीनी की सभी उपरोक्त बातों को अपने संज्ञान में लेते हुए विद्युत कनेक्शन के अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 488, दिनांकित 04/09/2024 से मंच को अवगत कराया है कि ग्राम प्रधान रानीपोखरी, श्री सुधीर रतूड़ी द्वारा उप–जिलाधिकारी ऋषिकेश को अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि रानीपोखरी ग्रान्ट के अन्तर्गत शांतिनगर अवैध कब्जों में विद्युत संयोजन निर्गत ना करने हेतु अवगत कराया गया है कि जिसमें राजस्व विभाग की आख्यानुसार अवैध कब्जों में बिना स्वीकृति के विद्युत संयोजन निर्गत ना किये जाये।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा यह कहकर उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया कि ग्राम प्रधान रानीपोखरी, श्री सुधीर रतूड़ी द्वारा उप–जिलाधिकारी ऋषिकेश को अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि रानीपोखरी ग्रान्ट के अन्तर्गत शांतिनगर अवैध कब्जों में विद्युत संयोजन निर्गत ना करने हेतु अवगत कराया गया है कि जिसमें राजस्व विभाग की आख्यानुसार अवैध कब्जों में बिना स्वीकृति के विद्युत संयोजन निर्गत ना किये जाये।

यहा पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय :– **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connections 3.3.2 Application for new LT Connection 4(a)(i)** में आयोग द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and abjective has been raised on the premises by District

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

Magistrate/Government Authorities/ Government under whose jurisdiction premises falls, the Licensee shall not grant new conncetion to such Applicant.

विपक्षी द्वारा माननीय् आयोग के उपरोक्त विनियम के आलोक में संबंधित परिसर को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के साथ राजस्व निरीक्षक की आख्या संलग्न की गई है, जो कि विशेष रूप से वाद से संबंधित परिसर को लेकर नहीं है। अतः यह माननीय् UERC के विनियम पर प्रभावी नहीं है।

परिवादी द्वारा मंच के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि उक्त भूमि पर उसके नाम से उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा पानी का संयोजन जारी किया गया है, जिसका उपभोग वह कई वर्षों से कर रही है।

प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा अपने नाम से उक्त भूमि पर (श्रीमती संगीता देवी / श्री राहुल दास) के नाम से जारी उत्तराखण्ड जल संस्थान की रसीद प्रस्तुत की गई जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी उक्त परिसर पर वर्तमान में कब्जेधारी है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है विपक्षी परिवादी को उनके आवेदन के क्रम में माननीय् **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connections 3.3.2 Application for new LT Connection 4(a)(i)** में स्पष्ट उल्लेख है:– **Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be**

charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment oa any dues against such connection. के तहत् विद्युत संयोजन जारी किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connections 3.3.2 Application for new LT Connection** 4(a)(i) में स्पष्ट उल्लेख है:– **Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment oa any dues against such connection.** के तहत् विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद

वय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25/02/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25-02-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 68 / 2024

हिमांशु मौर्य
निवासी– नया गांव, अजबपुर कलां
देहरादून। 　　　　परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। 　　　　विपक्षी

कोरम 　　　　दिनांकः 25.02.2025
श्री त्रिभुवन सिंह 　　　　न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण 　　　　उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि जनवरी माह 2024 में हमने बिजली का नया कनेक्शन लिया उस समय जो मीटर लगाया गया वह मीटर खराब था जिसकी जानकारी मीटर लगाने वाले कर्मचारी को थी। उस समय उनके द्वारा कहा गया कि इस समय मीटर की कमी है, इसे हम 10.15 दिनों में बदल देगें। लेकिन समय बीत जाने के बाद भी मीटर बदला नहीं गया तो आशंका होने पर हमने 1912 हेल्पलाइन नम्बर पर मार्च माह में शिकायत की उसके बाद 15 मई 2024 को मीटर बदला गया जो बिल हमें आई0डी0एफ0 में दिया गया वह हमारी खपत से बहुत अधिक था, इसकी शिकायत करने के लिये हम सब–डिवीजन कार्यालय आराघर में गये वहॉ पर हमारी नहीं सुनी गई। जिसके कारण

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

हमने सी0ए0 हेल्पलाईन पर शिकायत दर्ज की, तभी भी कोई सुधार नहीं किया गया। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि आप हमारे सही मीटर की खपत के अनुसार बिल संशोधन करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2259, दिनांकित 19/10/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवादी श्री हिमांशु मौर्य, नया गॉव अजबपुर कलॉ, देहरादून के संयोजन संख्या CD67166263788 दिनांक 08.01.2024 को निर्गत किया गया था,उक्त संयोजन पर लगा मीटर संख्या 9544791 खराब होने के कारण नया मीटर संख्या 9575372 दिनांक 15.05.2024 को लगाया गया है। पुराने मीटर का क... consumption न होने के कारण दिनांक 08.01.2024 से 15.05.2024 तक का बिल विभागीय नियमानुसार Normative 150 KWH/KW/Month के आधार पर बिल निर्गत किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के मूल शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा जनवरी 2024 में नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 08.01.2024 को खराब मीटर संख्या 9544791 द्वारा संयोजन अवमुक्त किया गया। विद्युत मापक स्थापित करने वाले कर्मचारियों द्वारा परिवादी को अवगत कराया गया कि इस समय मीटर की कमी है, इसे हम 10–15 दिनों में बदल देंगे लेकिन उक्त खराब विद्युत मीटर नहीं बदला गया जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा हेल्पलाईन नंबर 1912 पर मार्च माह में दर्ज करायी, बावजूद इसके उक्त खराब विद्युत मापक 15.05.2024 को नहीं बदला गया, जिस कारण परिवादी को उनकी वास्तविक खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी नहीं किये गये।

उपरोक्त के क्रम में मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने पर मंच के संज्ञान में आया कि AVON METERS PVT. LTD. द्वारा जारी एम0आर0आई0 रिपोर्ट दिनांक 17.12.2023 से स्पष्ट है कि उक्त मापक में

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

तकनीकि खराबी के कारण BATTER STATUS- NOT OK है, बावजूद इसके विपक्षी द्वारा दिनांक 08.01.2024 को जानबूझ कर खराब विद्युत मापक द्वारा संयोजन अवमुक्त किया गया जिसका उल्लेख परिवादी द्वारा अपनी मूल शिकायत में किया गया है, उक्त एम0आर0आई0 रिपोर्ट से परिवादी के कथन को बल मिलता है।

विपक्षी द्वारा परिवादी को नया विद्युत संयोजन खराब विद्युत मापक से जारी किया जाना उनकी अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही दर्शाता है।

यहा पर मान्नीय **UERC** के उक्त विनियम का उल्लेख किया जाना अति आवश्यक है:– **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering And Billing 5.1 Metering 5.1.1(1)** में माननीय् आयोग द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी नयें संयोजन की स्थापना बिना सर्विसिंग मीटर के नहीं की जाएगी, परंतु विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में खराब मापक द्वारा ही संयोजन अवमुक्त किया है, जिससे यह समझा जाये कि उक्त संयोजन बिना विद्युत मापक के जारी किया गया है, जो कि माननीय् **UERC** के विनियामों का उल्लघन है, जिसें मंच स्वीाकर नहीं कर सकता है, ऐसी दशा में विपक्षी द्वारा परिवादी को जारी बिल अवधि 08.01.2024 से मीटर बदले जाने की तिथि 15.05.2024 के जारी सभी बिल निरस्त कर एवं दिनांक 15.05.2024 नये मापक स्थापित किये जाने के उपरान्त सभी विद्युत बिल उक्त मापक की वास्तविक खपत के आधार पर समय–समय पर जारी टैरिफ के अनुसार संशोधित बिल जारी किया जाना तर्कसंगत होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को जारी बिल अवधि 08.01.2024 से मीटर बदले जाने की तिथि 15.05.2024 के जारी सभी बिल निरस्त करें एवं दिनांक 15.05.2024 से नये मापक स्थापित किये जाने के उपरान्त जारी विद्युत बिल उक्त मापक की वास्तविक खपत के आधार पर समय–समय पर जारी टैरिफ के अनुसार संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित विद्युत बिलों पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ती के 30 दिनों के अंर्तगत मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25/02/2025 25.02.2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 76/2024

श्री नुप्पाराम
निवासी– ग्राम–डाण्डा, देसऊ
कालसी, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांकः 11.02..2025
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि यू0पी0सी0एल0, उपखण्ड डाकपत्थर तथा खण्ड विकासनगर द्वारा उपभोक्ता को उचित रूप से मीटर रीडिंग तथा मीटर सीलिंग होने के पश्चात् भी उपभोक्ता को आई0डी0एफ0 के माध्यम से बिल जारी कर उपभोक्ता से बिल जमा करवाये गये तथा विभाग के लगभग 02 वर्ष के समय अन्तराल तक दिनांक 30.11.20 से 15.01.2023 तक जो बिल जारी किये गये, अनुचित रूप से जारी किए गए जिन्हें उपभोक्ता के समयानुसार जमा किये जा चुके है। शिकायत करने पर विभाग द्वारा संतोषजनक कार्यवाही न करना विभाग की लापरवाही को नजर अंदाज करना दर्शाता है, जो कि राशि स्वंय उपभोक्ता से वसुला जा रहा है, विभाग द्वारा की गई लापरवाही निन्न बिन्दुवार है–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. बिन्दु संख्या 1 – मीटर एवं मीटर सम्बन्धित निम्न शिकायतें–

(क) मीटर कमांक (U-325144) को दिनांक 30.11.20 को विभाग द्वारा लगाया गया था (सील प्रमाण पत्र संलग्न सं0–1), तत्पश्चात् भी विभाग ने बिना कोई सवैधानिक सूचना दिए दिनांक 30.11.20 से 15.01.2023 तक आई0डी0एफ0 के माध्यम से उपभोक्ता को बिल जारी किए गए थे जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा किए जा चुके है, (बिल जमा रसीद संलग्न सं0–02)

2. (ख) विभाग द्वारा मीटर सीलिंग करने के पश्चात् आई0डी0एफ0 के माध्यम से जो बिल उपभोक्ता को जिस समयांतराल में जारी किए वह समयानुसार जमा किए जा चुके थे जिसके पश्चात् विभाग ने दिनांक 15.01.2023 से 12.04.2023 (87) दिन का बिल उसी मीटर रीडिंग के अनुसार जारी किया गया है, जिसको विभाग ने आई0डी0एफ0 के माध्यम से बिल जारी कर जमा करवा चुके थे जबकि विभाग ने 30.11.2020 के उपरान्त जारी बिलों में मीटर पठनांक आई0डी0एफ0 धोषित किया जा चुका था,

3. (ग) विभाग द्वारा दिनांक 30.11.20 से दिनांक 15.01.2023 की रीडिंग का सम्पूर्ण बिल पुनः मीटर रीडिंग धोषित कर जारी कर विभिन्न माध्यमों से जमा करने को डिमाण्ड नोटिस से वसूले जाने को उपभोक्ता को कहा गया, जबकि उपभोक्ता ने उस अन्तराल में जारी किये गए बिल जमा किये जा चुके थे, बिल कमांक 38447230412000019, जो कि 87 दिन का बिल जारी किया गया था अमान्य है एवं निरस्त होना चाहिए (प्रति संलग्न सं0–3)

4. (घ) विभाग द्वारा की गयी इस लापरवाही का आर्थिक एवं मानसिक उत्पीडन उपभोक्ता पर डाला गया जो संवैधानिक रूप से अनुचित है एवं सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध लापरवाही के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2. बिन्दु संख्या 2 – विद्युत बिलों में गडबडी एवं असवैधानिक रूप से वसूली नोटिस करना–

(क) विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता को पूर्व में जारी किये गये बिलों को जमा करने के पश्चात् भी डिमाण्ड नोटिस पत्र सं0 71505230143, दिनांक 15.05.2023 को उपभोक्ता को उपखण्ड डाकपत्थर, अधिशासी अभियन्ता (नियत प्राधिकारी) यू0पी0सी0एल0 द्वारा 11.06.2023 तक जमा करने को कहा जाता है, जबकि सम्पूर्ण बिल जमा किये जा चुके थे। (बिल जमा रसीद सं02)

(ख) विभाग को शिकायत करने के पश्चात् विभाग ने इसी कम में दिनांक 23.05.2023 से 07.07.2023 तक 45 दिनों का मीटर यूनिट 3499 का बिल जारी किया जाता है जो कि उपभोक्ता के दैनिक उपभोग की सीमा से अत्यन्त अधिक मीटर यूनिट अंकित कर जारी किया जाता है, गत् महीनों एवं वर्षो से विभाग के उपभोक्ता को आई0डी0एफ0 के माध्यम से औसतम रू0 500–600रू0 का जारी कर जमा किये जा चुके थे। बिल सं0 284472307070001, 45 दिनों का मीटर यूनिट 3499, राशि रू0 33,440 को भी विभाग उसी मीटर यूनिट के अनुसार जारी करता है जिसके बिल उपभोक्ता ने 30.11.2020 के उपरांत आई0डी0एफ0 के माध्यम से जमा किए गए है। (प्रति संलग्न सं0–04)

(ग) विभाग को विभिन्न माध्यमों से शिकायतें करने के पश्चात् भी विभाग के संतोषजनक कार्यवाही न करते हुए विभाग की लापरवाही को नजरअंदाज कर उपभोक्ता की आर्थिक प्रताडना का सामना करना पड रहा है, विभाग को निम्न माध्यमों से समय–समय पर शिकायते की गयी–

(अ) विद्युत वितरण खण्ड विकासनगर (सहायक अभियन्ता) दिनांक 12.06.2023 (प्रति संलग्न सं0 05)

(ब)सी.एम.एच.एल (CMHL)- 062023–2–391043, दिनांक 29.06.2023 (प्रति संलग्न सं0–06)

(स) सी.एम.एस.एल.– 092023–2–442277, दिनांक 13.09.2023, (प्रति संलग्न सं0–07)

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

(द) सी.एम.एस.एल.– 122023–2–482381, दिनांक 02.12.2023, (प्रति संलग्न सं0–08)

3. विद्युत वितरण खण्ड विकासनगर, अधिशासी अभियन्ता (नियत प्राधिकारी) दिनांक 01/03/2024 (प्रति संलग्न सं0–09)

उपरोक्त समस्त शिकायतों का विभाग द्वारा वर्तमान तक संतोषजनक निवारण न करते हुए विभाग उपभोक्ता को असंशोधित बिल जारी करता आ रहा है, जिससे उपभोक्ता को आर्थिक प्रताडना का सामना करना पड रहा है तथा उचित एवं संवैधानिक बिल जमा करने में अडचनें सामने आ रही है। अतः सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही एवं शिकायतों का उचित निवारण न करते हुए लम्बित रखकर, कार्यवाही करने पर उचित कार्यवाही करे।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता(रा0) ने आख्या पत्रांक 3813, दिनांकित 25/09/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री नुप्पाराम ग्राम– देसऊ, कालसी, देहरादून के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है–

1. परिवादी का विद्युत संयोजन सं0 VN21622123093 दिनांक 06.10.2007 को STN-11 LIFE LINE BELOW POVERTY CONSUMERS श्रेणी में निर्गत किया गया था।
2. परिवादी का खराब विद्युत मीटर सं0 RG9237 दिनांक 30.11.2020 को बदला गया था।
3. परिवादी का विद्युत बीजक दिनांक 30.11.2020 से 23.05.2023 तक रू0 33440.00 से संशोधित कर रू0 28378.00 किया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

4. उक्त संशोधित बीजक से संतुष्ट न होने पर परिवादी द्वारा दिनांक 17.08.2024 को मीटर तेज चलने के संदेह के आधार पर चैक मीटर स्थापित कराया गया। जिसका दिनांक 02.09.2024 अन्तिमीकरण किया गया। जिसमें मैन मीटर 250 प्रतिशत तेज चलनता पाया गया।
5. परिवादी का 250 प्रतिशत तेज चले मीटर का मा0 विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार निर्धारण कर बीजक रू0 89429.00 से संशोधित कर रू0 76773.00 किया गया।

अतः परिवादी का विद्युत बीजक नियमानुसार संशोधित किये जाने पर परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक 08/2010 से 01/2023 अर्थात् 76 बिल चकों (लगभग 13 वर्षो) में एन0ए0/आई0डी0एफ0/एन0आर0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये जिस पर परिवादी को आपत्ति है। 04./2023 के उपरांत विपक्षी द्वारा बिना विद्युत मापक बदली किये एम0यू0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये। विपक्षी द्वारा एम0यू0 के आधार पर प्रतिमाह (4819, 104, 3499, 282, 528, 1683, 993 एवं 1289) यूनिट के बिल प्रेषित किये गये जो कि STN-11 LIFE LINE BELOW POVERTY CONSUMERS के अनुसार एक प्रकाशित खपत है। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा खराब मीटर बदलने में लेट लतीफी बर्ती गयी है। यहॉ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदली जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुये मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter.

प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से यह संदेह उत्पन्न हो रहा है कि यदि लगभग 13 वर्षो से मीटर खराब होने के स्थिति में आई0डी0एफ के आधार पर बिलिंग की जा रही थी तो 04/2023 में उक्त मापक से एम0यू0 की बिलिंग किस आधार पर की गयी, यदि विद्युत मापक सही था तो विद्युत मापक में आई0डी0एफ0 की बिलिंग क्यों की गयी। विपक्षी मंच के उक्त प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को 08/2010 से 01/2023 अर्थात् 76 बिल चक्रों (लगभग 13 वर्षो) तक प्रेषित कुल 76 बिलों में से मान्नीय UERC के उपरोक्त वर्णित विनियमों के अनुसार शुरूवात के सिर्फ दो बिलों की राशि लिया जाना सुनिश्चित करें, शेष सभी 74 विद्युत बिलों को निरस्त किया जाए। निरस्त किये गये सभी बिल ां केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित 08/2010 से 01/2023 अर्थात् 76 बिल चक्रों (लगभग 13 वर्षो) तक प्रेषित कुल 76 बिलों में से मान्नीय UERC के उपरोक्त वर्णित

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

के अनुसार शुरूवात के सिर्फ दो बिलों की राशि लिया जाना सुनिश्चित करें, शेष सभी 74 विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करें। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि 04/2023 से वर्तमान तक के सभी विद्युत बिलों को भी निरस्त करें एवं परिवादी के परिसर पर स्थिति वर्तमान विद्युत मापक को नये विद्युत मापक जो एम0आर0आई पोर्ट युक्त हो से परिवर्तित करना सुनिश्चित करें एवं 04/2023 से वर्तमान तक के बिलों की बिलिंग उक्त नये मापक के औसत खपत के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 08/2010 से बिल संशोधित किये जाने की तिथि तक की अवधि में भुगतान की गयी धनराशि उनके आंगामी विद्युत बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/02/2025 — 11-02-2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 78/2024

श्रीमती विमला कनोजिया — परिवादी
निवासी– मकान सं0–168, नयी बस्ती,
मोथरोवाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 11/02/2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding permanent disconnection of the electricity connection.

The Complainant submits and prays as under:-

1. That the complainant is the owner in the possession of property having municipal number 168, Nayi Basti, Mothrowala, Dehradun.
2. That the complainant is a widowed senior citizen woman and mother of three children all of whom are married and live separately from their mother.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. That the complainant lives in a residential property on which there are two electricity connections, one of whose electricity connection is in the name of complainant having connection number SD25732134793 and account number 40107170539 and the other electricity connection in the mane of her youngest son Sumit Kanojiya having connection number SD25732619436 and account number 2200483442.
4. That earlier the complainant's youngest son Sumit Kanojiya lived with her in the premises of the complainant and meanwhile he had also taken an electricity connection in his name for the part of property under his use at that time and it has been a while since the son of complainant has vacated the premises of the complainant.
5. That after her son vacated the said property of the complainant, the complainant went to her sub-divisional office on 24-03-2023 for permanent disconnection of connection in the name of her son has she had no requirement for the same having an active connection in her name already.
6. That on the assurance of the officials of sub-division office as to disconnection, she had also paid Rs. 354.00/- (Rupees Three Hundred and Fifty Four) only, as a charge towards permanent disconnection of the connection in the name of her son, but the same was not disconnected and even after repeated requests the complainant still has to pay the fixed demand charge of Rs.150/- (Rupees One Hundred and Fifty) only per month, hence this complaint.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

7. That this Hon'ble forum has the jurisdiction to preside over and adjudicate the matter.

8. That therefore the above complainant humbly seeks the following reliefs:

    a. The electricity connection installed over the property under the ownership of the complainant in the name of her son be ordered to be removed.

    b. Any other relief which this Hon'ble Forum deems just and expedient to pass in favour of the complainant.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 602, दिनांकित 28/09/2024 से मंच को अवगत कराया है कि वाद के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि रू0 354/– की रसीद (विद्युत विच्छेदन की रसीद) कटवाने के पश्चात् भी विभाग द्वारा संयोजन संख्या – SD25732619436 को विच्छेदित नहीं किया गया है। वाद के सम्बन्ध में आपको निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराना है:–

1. महोदय, अवगत कराना है कि दिनांक 24.03.2023 को संयोजन संख्या– SD25732619436 को विच्छेदन कराने की रसीद कटवायी गई, जिसके बाद उक्त संयोजन को काट दिया गया।
2. तदोपरान्त श्री सुमित कनौजिया द्वारा उपखण्ड कार्यालय में शिकायत की गई कि इनके द्वारा संयोजन नहीं कटवाया गया है (प्रति संलग्न) एवं साथ ही चौकी इंचार्ज, आई0एस0बी0टी0, देहरादून में उक्त के सम्बन्ध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। (प्रति संलग्न)
3. जिसके पश्चात् संयोजन को पुनः ऊर्जीकृत किया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी श्रीमती विमला कनौजिया द्वारा अपने पुत्र सुमित कनौजिया के नाम से अवमुक्त संयोजन सं0 SD25732619436 को स्थायी विच्छेदित कराये जाने के संबंध में वाद योजित कराया गया है, जिसके क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि श्री सुमित कनौजिया द्वारा उपखण्ड कार्यालय में शिकायत की गई कि इनके द्वारा संयोजन नहीं कटवाया गया है (प्रति संलग्न) एवं साथ ही चौकी इंचार्ज, आई0एस0बी0टी0, देहरादून में उक्त के सम्बन्ध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिससे यह स्पष्ट है कि वास्तविक उपभोक्ता अपने संयोजन को विच्छेदित नही कराना चाहता है यहाँ पर यह उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 ds chapter 6 Disconnection and Release Connection 6.2** में विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन संबंधित उल्लेख स्पष्ट है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन विद्युत बिल का भुगतान न करने अथवा उपभोक्ता के लिखित आवेदन पर ही विच्छेदित किया जा सकता है, भवन स्वामी के इच्छा मात्र किसी अध्यासी के नाम पर जारी किये गये संयोजन को विच्छेदित किये जाने का कोई अधिकार उक्त रेगुलेश्न में विद्युत विभाग को नही दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में भी उपभोक्ता श्री सुमित कनौजिया संयोजन संख्या– SD25732619436 के द्वारा अपने विद्युत संयोजन को विच्छेदित करने हेतु अपना आवदेन भी विभाग को नही

दिया गया है । इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरांत प्रस्तुत वाद खारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/02/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11-02-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 79/2024

श्री पूरन सिंह थापा पुत्र डामर बहादुर
निवासी– ग्राम बरोटीवाला
विकासनगर देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 22.02.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding revision of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

Current reading on my electricity meter is 1334 KWH but UPCl send me an IDF bill without reading, So it is my humble request to please provide me correct bill as per my reading in the electricity meter.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 3847, दिनांकित 28/09/2024 से मंच को अवगत कराया है कि पुरण सिंह थापा पुत्र श्री डामर बहादुर, निवासी– ग्राम– बरोटीवाला, विकासनगर से सम्बन्धित बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. परिवादी का विद्युत संयोजन श्री पूरण सिंह थापा पुत्र श्री डामर बहादुर, निवासी– ग्राम बरोटीवाला, विकासनगर के नाम से दिनांक 27.03.2002 को श्रेणी– STN 10/OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 04 KW में निर्गत किया गया है। जिसका विद्युत भार– 01 कि0वा0 है।
2. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में मा0 फोरम को अवगत कराया गया है कि उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर में 1334 रीडिंग है परन्तु विभाग द्वारा IDF के बीजक प्रेषित किये जा रहे है।
3. सहायक अभियन्ता (मापक) विद्युत परीक्षणशाला, विकासनगर द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि परिवादी का विद्युत मीटर बदल दिया गया है।
4. परिवादी के बदले गये विद्युत मीटर की सीलिंग प्रमाण पत्र प्राप्त होने/सीलिंग की सिस्टम में प्रविष्टि होने के पश्चात् की जायेगी।

उपरोक्त के संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 4906 दिनांकित 04.12.2024 से मंच को अवगत कराया गया है कि श्री पूरण सिंह, पुत्र डामर, ग्राम– बरोटीवाला, विकासनगर द्वारा अपने संयोजन संख्या VN13115032221 का बीजक खराब होने की शिकायत मा0 फोरम के समक्ष की गयी। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता का आई0डी0एफ0 बीजक रू0 12599.00 से संशोधित कर रूपये 2545.00 मात्र का बना दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी के बिल का संशोधन कर दिया गया है जो कि न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी के बिल रू0 12599.00 को संशोधित कर रू0 2545.00 मात्र कर दिया गया है, जो कि सही है। संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/02/2025 22/02/25 22.02.2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 80 / 2024

मनोज कुमार उपाध्याय
निवासी– ग्रीन व्यू अपार्टमेंट वेलफेयर सोसाईटी
नियर आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून। — परिवादी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 24.02.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding frequent power outages transformer issues.

The Complainant submits and prays as under:-

I am writing on behalf of the residents of Green View apartments, located at Sahastradhara road, Dehradun. Over the past few months, we have been experiencing frequent and prolonged power outages, accompanied by erratic power spikes. These disruptions have been particularly severe and have caused significant inconvenience to all residents, as well as damage to several household appliances, including refrigerators,air conditioners, washing machines, fans and

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

televisions. It has come to our attention that the root cause of these frequent outages could be an issue with the transformer installed at our premises, please note that we have 2 transformer with one as a backup which was recently fully repaired by UPCL. However,despite multiple requests and complaints raised by the society,no permanent solution has been implemented. The malfunctioning transformer and unstable electricity supply have not only led to discomfort but also financial loss due to damaged appliances. We kindly request that you take immediate action to resolve this matter by conducting a thorough inspection of the transformer and replacing or repairing it as required. We also urge you to implement measures to ensure a more stable and reliable power supply to our residential society.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक 790, दिनांकित 30/09/2024 से मंच को अवगत कराया है कि क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री दीपक चन्दोला की रिर्पोट के अनुसार स्थल का निरीक्षण कराया गया है कि निरीक्षण के समय अपार्टमेंट की पैनलों में जो न्यूट्रल वायर के कनेक्शन जोकि मीटर के पश्चात् घरों हेतु वायरिंग में जा रहे हैं वह सही ढंग से नही लगे हैं अर्थात् अव्यवस्थित हैं जिसको सही कराना सम्बन्धित अपार्टमेंट की सोसाईटी द्वारा ठीक कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अपार्टमेंट द्वारा जो इलेक्ट्रीशियन उपलब्ध कराया गया था उनको बता दिया गया है।

उक्त के कम में उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी आख्या 957 दिनांक 11.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि मनोज कुमार उपाध्याय द्वारा ग्रीन व्यू अपार्टमेंट सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में विद्युत आपूर्ति के

lectricity Consumer Grievance Redressal Forum
Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संबंध में जो शिकायत की गई थी उसके निस्तारण हेतु सबंधित स्थल पर एक 250 के0वी0 ट्रांसफॉमर बदलवा दिया गया है साथ ही उक्त ट्रांसफॉमरों की नयी अर्थिंग कराकर एच0टी0/एल0टी0 लाईन के जम्फरों को बदलकर उपभोक्ता की शिकायत का निवारण करा दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/02/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

24.02.2025

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 81 / 2024

श्री जितेन्द्र कुमार
निवासी– ग्राम– अम्बाडी, विकासनगर,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 11.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी जितेन्द्र कुमार स्व0 श्री राम मिलन, निवासी– ग्राम– अम्बाडी, विकासनगर, देहरादून के घर पर जो विद्युत संयोजन है। विद्युत संयोजन सं0 VN13111011708 जो कि पिता जी स्व0 श्री राम मिलन साहू जी के नाम से है। इस संयोजन के बिल 3–4 साल से 5000, 10000, 12000, तक आ रहा है इससे पहले ये बिल 500 से 700 के बीच आता था। दो–तीन बार प्रार्थी ने कर्ज लेकर 40000, और 45,000 के बिल कर्ज लेकर भर दिये परन्तु अब हमारे बस में कर्ज लेना नहीं है। प्रार्थी की स्थिंति बहुत गरीब घर से है। महोदय जी इस बार कनेक्शन भी कट चुका है। महोदय आपसे निवेदन है कि प्रार्थी के घरेलू कनैशन की विधि अनुसार बिल को कम करने की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 3848, दिनांकित 28.09.2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 81/2024 श्री जितेन्द्र कुमार, निवासी – ग्राम अम्बाडी, विकासनगर से सम्बन्धित बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1. परिवादी का विद्युत संयोजन सं0 VN13111011708 श्री राम मिलन साहू पुत्र श्री डामर बहादुर, निवासी– ग्राम– अम्बाडी, विकासनगर के नाम से दिनांक 26.10.1988 को श्रेणी - STN 10/OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 04 KW में निर्गत किया गया है। जिसका विद्युत भार–01 कि0वा0 है।
2. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत बीजक अधिक आने के सम्बन्ध में है।
3. परिवादी के संयोजन से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि संयोजन पर वर्तमान में कुल रू0 48714 का विद्युत बकाया है।
4. परिवादी के संयोजन में दिनांक 08.11.2023 को 17552 रीडिंग थी। उक्त दिनांक से वर्तमान तक उनकी विद्युत खपत शून्य है।
5. परिवादी के बीजक में किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं हो रही है।
6. परिवादी द्वारा अन्तिम बार दिनांक 23.09.2022 को विद्युत बीजक का भुगतान किया गया था।

अतः परिवादी के बीजक में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होने तथा विद्युत बकाया होने पर शिकायत निराधा.. है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि मंच के संज्ञान में आया है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का मीटर सं0 EM0770 जो आई0डी0एफ0 होने

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

की दशा में नये मीटर सं0 84569658 दिनांकित 11.10.2020 को बदला गया, मीटर बदले जाने के उपरान्त 01 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर कई बिल चक्रों में परिवादी को 01 कि0वा0 के स्वीकृत भार के सापेक्ष कई गुना अधिक यूनिट के बिल प्रेषित किये गये जिस पर परिवादी को आपत्ति है। मंच द्वारा विपक्षी को नये मीटर की खपत को तकनीकी रूप से साबित करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी के संयोजन में दिनांक 08.11.2023 को 17552 रीडिंग थी। उक्त दिनांक से वर्तमान तक उनकी विद्युत खपत शून्य है एवं परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक की एम0आर0आई नही हो पा रही है जिस कारण एम0आर0आई रिर्पोट प्रस्तुत करना संभव नही है।

मंच द्वारा विपक्षी के उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लिया गया जिससे यह तथ्य आया कि परिवादी के परिसर पर स्थापित वर्तमान मापक किसी तकनीकी खराबी के कारण वास्तविक विद्युत उपभोग को दर्ज नही कर पा रहा है जिसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि वर्तमान में परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन का उपभोग तो किया जा रहा है परन्तु विद्युत मापक द्वारा उक्त विद्युत खपत का आंकन नही किया जा रहा है जिस कारण शून्य यूनिट के आधार पर ही 01/2024 से 09/2024 तक के विद्युत बिल 0 यूनिट के विद्युंत बिल प्रेषित किये गये है।

कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार उक्त मापक स्थापित होने की तिथि 20.10.2020 से 14.09.2024 अर्थात् 1434 दिनों में उक्त मापक द्वारा 17552 यूनिट की खपत दर्ज की गयी है जो कि 12.23 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है जबकि उक्त मापक स्थापित किये जाने से पूर्व मापक द्वारा प्रतिदिन 2.61 यूनिट की खपत दर्ज की जा रही थी। विपक्षी द्वारा बिना प्रमाण के 01कि0वा0 के स्वीकृत भार पर दर्शायी गयी 12.29 की खपत को मंच स्वीकार नही कर सकता है। ऐसी दशा मे परिवादी को मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 11.10.2020 से वर्तमान तक के सभी बिल निरस्त कर उक्त अवधि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739!
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

की बिलिंग 07/2020, 05/2020 और 03/2020 क्रमशः (177 + 176 + 118= 471/3 = 157) यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्ययोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक11.10.2020 से वर्तमान तक के सभी बिल निरस्त कर उक्त अवधि की बिलिंग 07/2020, 05/2020 और 03/2020 क्रमशः (177 + 176 + 118 = 471/3= 157) यूनिट प्रति बिल चक के आधार पर संशोधित किया जायें। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किा जाता है कि परिवादी के मीटर सं0 84569658 को अविलंभ एम0आर0आई पोंट युक्त मीटर विद्युत मापक से परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में परिवादी को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये जा सकें। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। आदेश प्राप्ति के आख्या इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11.02.2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11-02-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 87 / 2024

श्री अलियास पुत्र अहमद अली
निवासी– ग्राम– घमोलो खुशहालपुर
सहसपुर, देहरादून

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह
श्री दीपक फरस्वाण

दिनांक: 24.02.2025
न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि श्री अलियास पुत्र अहमद अली, निवासी ग्राम–घमोलो, खुशहालपुर, वि0वि0ख0 सहसपुर, देहरादून का बिजली का बिल रू0 129988.00 (एक लाख उनतीस हजार नौ सौ अटासी) रूपये का वर्तमान में आया हुआ है, जो कि सीमा से बहुत ज्यादा अत्यधिक है जिस कारण श्री अलियास अहमद का परिवार भयभीत है, महोदय प्रार्थी एक निर्धन एवं मजदूर व्यक्ति है। महोदय जी इतना बिल आना एक गम्भीर विषय है, इस समस्या का निराकरण करने तथा कोई समाधान निकालने का प्रयास करें। अतः महोदय जी से निवदेन है कि प्रार्थी के बिजली मीटर को चैक करने तथा वर्तमान बिल को कम करने की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता (राजस्व) ने आख्या पत्रांक 4287, दिनांकित 10/10/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री अलियास, पुत्र श्री अहमद अली, निवास– घमोलो, खुशहालपुर, सहसपुर, देहरादून के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है–

1. परिवादी का विद्युत संयोजन सं0 VN11612453678 दिनांक 10.01.2015 को STN-10/OTHER DOMESTIC LOAD UPTO 4 KW श्रेणी में निर्गत किया गया था। जिसका विद्युत भार 02 कि0वा0 है।
2. परिवादी की शिकायत विद्युत बीजक अधिक आने से सम्बन्धित है। जिसकी जांच करने पर पाया गया कि परिवादी को दिनांक 25.05.2024 तक विद्युत बीजक रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये गये है। तत्पश्चात् परिवादी का विद्युत मीटर जल जाने के कारण दिनांक 09.08.2024 को परिवर्तित कर दिया गया।
3. विद्युत मीटर परिवर्तित करने के दौरान परिवादी के पुराने मीटर में कुल 36565 रीडिंग पायी गय।
4. अवर अभियन्ता (मापक) द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि मीटर का पोर्ट जला होने के कारण मीटर की एम0आर0आई0 कर पाना सम्भव नहीं हो सका।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा सहायक अभियन्ता(रा0), विद्युत वितरण विकासनगर के पत्र दिनांकित 10.01.2024 का संज्ञान लिया गया जिसमें सहायक अभियन्ता (रा0), द्वारा पत्र में उल्लेखित टिप्पणी कि परिवादी का विद्युत मीटर जल जाने के कारण दिनांक 09.08.2024 को परिवर्तित किया गया। विद्युत मीटर परिवर्तित करने के दौरान पुराने मीटर में कुल 36565 यूनिट दर्शायी गयी। इसी कम में मंच द्वारा कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि दिनांक 25.05.2024 में जारी किये गये विद्युत बिल में तत्कालीन रीडिंग 20444 थी, यानि परिवादी द्वारा दिनांक 25.05.2024 से मीटर चेंज होने की तिथि 09.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

तक कुल 76 दिनों में 16121 यूनिट का उपभोग किया गया, जो कि 02 कि0वा0 के घरेलू संयोजन पर होना तकनीकी रूप में संभव नहीं है। विपक्षी ने माना है कि पुराने मीटर का पोर्ट जला होने के कारण मीटर की एम0आर0आई करना संभव नहीं है। लिहाजा मंच इस मत का है कि 76 दिनों में 16121 यूनिट विद्युत खपत होना तकनीकी रूप में साबित नहीं हो पाया है। विपक्षी द्वारा बिना प्रमाण के 02 कि0वा0 के स्वीकृत भार पर दर्शायी गयी 17746 (16121 + 1625) यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नही कर सकता है।

मंच का मत है कि उक्त 76 दिन की अवधि में पुराने मीटर को त्रुटिपूर्ण मानते हुए विपक्षी मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7 (1) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चकों (05/2024, 03/2024, 01/2024) की औसत खपत के आधार पर उक्त अवधि में उपभोक्ता द्वारा की गई खपत की गणना कर उपभोक्ता को बिल चक 09/2024 का बिल संशोधित करें। उक्त बिल में नये मीटर की रीडिंग को यथावत रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को तीन बिल चकों (05/2024, 03/2024, 01/2024) की औसत खपत के आधार पर उक्त 76 दिन की अवधि में उपभोक्ता द्वारा की गई खपत की गणना कर उपभोक्ता का बिल चक 09/2024 का बिल संशोधित करें। संशोधित बिल में नये मीटर की रीडिंग यथावत रखी जाए। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश के

अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24/02/2025   24.02.2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 89 / 2024

श्री राकेश शंकर — परिवादी
निवासी– 110, कौलागढ़, बैंक वाली गली
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 22.02.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

With due respect I want to state that my Present electricity bill is five times more than my previous bill due to not Proper functioning of the display meter.Therefore I requested you repair/replace the meter and provide correct electricity bill according to correct reading.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 920, दिनांकित 21 / 10 / 2024 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता की शिकायत में माह सितम्बर 2024 का बिल अधिक आने और मीटर खराब होने के सम्बन्ध में कहा गया है। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उपभोक्ता का माह 09 / 2024 का बिल मीटर खराब पाये जाने पर आई0डी0एफ0 का बनाकर विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है तथा उपभोक्ता का पुराना

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मीटर खराब पाये जने के कारण दिनांक 04.10.2024 को बदल दिया गया है एवं उपभोक्ता का वर्तमान माह 10/2024 का बिल मीटर रीडर द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीडिंग के अनुसार बिल संशोधित कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान किया जा चुका है जिसकी पुष्टि स्वंय परिवादी द्वारा अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से मंच के समक्ष की गई है। अतः उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/02/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22-02-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun - 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 93/2024

श्रीमती दीपा मैथानी
निवासी– कालका विहार, लेन नं0 1
निकट क्रिसलिस स्कूल, ठाकुरपुर
प्रेमनगर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 10.02..2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

Excess bill for above connection received in the month for Feb/Mar 24 for 697 units amounting Rs 4694, complaint for the same has been logged and check meter installed accordingly. Whole wiring of outside and inside has been checked by three different local electricians and no earthing has been found. Since check meter and original meter reading for 21 days was same the bill has been paid by me accordingly. Bill for the month of Mar/Apr has received correct and paid. Again bill for the month of Apr/May 2024 for 2761 units amounting Rs. 20,238 has been received. Complaint was again made to UPCL helpline. Similarly check meter for 45 days installed and no deviation found. Electricity bill for the month of May/Jun is again issued erroneously for 316

units in place of 112 units. (12164-12052=112). I have insisted for MRI to above meter to EDD Mohanpur.MRI has been carried out (record held with EDD Mohanpur). On scrutiny of the report it is seen that excessive consumption of electricity found on 4 to 5 occasions which seems due to meter fault. It is submitted that my house is of two floors with 3KVA load. There is no tenant there on 1st floor since Nov 2023. As there is no AC cooler are fitted in the house, consumption of 2761 units in a single month is beyond understanding whereas average monthly consumption is only around 150 units. Bills for further month from Jun/July and Aug/Sep are recorded normal for 158 and 86 units respectively. It is requested that above bill is not genuine and payment is beyond our paying capacity. Therefore, Kindly adjusted the bill for average consumption of previous 12 months to avoid financial hardship to me.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2429, दिनांकित 18/10/2024 से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या एम0पी0/1425/226305, श्रीमती दीपा मैथानी पत्नी श्री प्रेम बल्लभ मैथानी, विद्युत मीटर संख्या 81628514 है का विवरण निम्नवत् है–

1. दिनांक 19.05.2024 का विद्युत बिल मीटर संख्या 81628514 की रीडिंग (12052 – 9087) = 2761 खपत यूनिट के अनुसार विद्युत बिल की धनराशि रू0 20238.00 है।
2. दिनांक 10.04.2024 से 29.04.2024 तक चैक मीटर संख्या 10339363 परिसर पर स्थापित किया गया था चैक मीटर एवं मैन मीटर की तुलना करने पर मीटर सही पाया गया है।

10.02.2025

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. दिनांक 12.08.2024 से 24.09.2024 तक चैक मीटर संख्या GU424359 परिसर पर स्थापित किया गया था चैक मीटर एवं मैन मीटर की तुलना करने पर मीटर सही पाया गया है। (चैक मीटर स्थापित करने एवं फाईनल की सीलिंग प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध एम0आर0आई रिर्पोट से स्पष्ट है कि दिनांक 01.04.2024 को परिवादी के विद्युत मापक में रीडिग 9029.9 KWH एवं दिनांक 01.05.2024 को 9160.6 KWH अंकित थी, दिनांक 01.06.2024 में मीटर यूनिट 12115.6 यूनिट अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध एम0आर0आई रिर्पोट से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को उपरोक्त अवधि में वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है जो कि नियमानुसार सही है तथा इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों के उपरांत प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

10.02.2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

10.02.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 98 / 2024

श्री नत्थी सिंह असवाल
पुत्र पुष्कर सिंह
निवासी–छिद्दरवाला,
ऋषिकेश, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 28.02.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी ने सन् 1998 में विद्युत विभाग ऋषिकेश से दुकान हेतु उक्त संयोजन लिया था जिसका कि प्रार्थी द्वारा नियमित भुगतान किया जाता रहा है। सन् 1999 में मेरी दुकान अतिक्रमण की जल्द में आने के कारण तत्समय के लाईनमैन ने मेरा मीटर उखाड कर अपने साथ ले गये थे। उसके पश्चात् न तो बिजली विभाग द्वारा मुझे विद्युत बिल प्रेषित किया गया और न ही किसी प्रकार का विद्युत बकाया नोटिस भुगतान हेतु मुझे प्रेषित किया गया।

महोदय जी लगभग 24 वर्ष बीत जाने के बाद दिनांक 25.09.2024 को तहसीलदार ऋषिकेश महोदय के अमीन द्वारा मुझे रू0 13830.00 का बिजली बिल नोटिस व 1383.00 का राजस्व शुल्क सहित कुल 15213.00 रूपये का बिजली बिल नोटिस भुगतान हेतु भेजा गया है। जिसे देखकर प्रार्थी अत्यन्त दुखी है। महोदय यदि मुझ पर बिजली विभाग का कोई अवशेष लम्बित रहता तो विभाग द्वारा मुझे समयानुसार नोटिस जारी करना चाहिए था ताकि प्रार्थी समय पर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

भुगतान कर पाता किन्तु बिजली विभाग ने ससमय द्वारा मुझे कोई बिल अथवा नोटिस जारी नही किया गया है बल्कि 24 साल बाद इस प्रकार से कानूनी कार्यवाही कर मुझे जो नोटिस दिया गया है वह न्यायोचित नही है। इस प्रकार नोटिस भेजकर मेरा मानसिक उत्पीडन किया गया है और मेरी छवि धूमिल की गयी है। जिस कारण मैं काफी चिन्ता में हूँ। अतः महोदय जी से निवदेन है कि प्रार्थी के नोटिस का संज्ञान लेते हुये न्यायोचित कार्यवाही कर प्रार्थी के नोटिस को निरस्त करवाने की कृपा कर प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा करें।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपनी लिखित संतुष्टि मंच में प्रस्तुत की गई है जिसके माध्यम से परिवादी द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 13.11.2024 को विद्युत बिल कुल रू0 13830.00 विद्युत विभाग में जमा कर दिये गये है। जिससे उनके द्वारा की गई शिकायत का निवारण हो गया है। अतः उन्हें अपने विद्युत संयोजन संख्या आर0के0 62206020991 के विद्युत बिल से संबंधित कोई शिकायत नहीं है।

इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरांत उक्त वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का व्यय / प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/02/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28.02.2025

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 99 / 2024

श्री भगवती प्रसाद शर्मा पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद शर्मा — परिवादी
निवासी– 703–1–बी, निलाया हाईट्स,
हरिद्वार रोड़, देहरादून ।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.02.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकि सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी के आवास 215 / 1 वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश का पिछले माह का बिल सिर्फ 27 दिनों का बनाया गया है और यह रू0 1,34,036 का है। श्रीमान यह उपभोक्ता संख्या (40100385475) से सम्बधित है, यह घर सबसे लंबी अवधि में कोरोना काल के प्रथम चरण यानि फरवरी 2020 से नवंबर 2020 में खुला और उसके बाद प्रायः कभी हफ्ते में 2 दिन तक ही खुला। मेरे पर विद्युत का कोई भी बकाया राशि भी देय नही है, इसी तरह यह घर पिछले दिसंबर 2023 से करीब–करीब बंद ही है और पूरे साल में फरवरी 2024, दिनांक 20 से 25 तारिख को ही पारिवारिक आयोजन के लिए खोला गया था, इसकी पुष्टि पड़ोस में रहने वालों से भी की जा सकती है। इसी वर्ष सितम्बर 2024 में तेज हवा व बंदरो के उत्पात के चलते हुए खंबे पर से बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसकी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

शिकायत ऑनलाइन प्रकोष्ठ में की गई थी और फिर नई तार खरीदकर बिजली सुचारू की गई , पर कुछ दिन बाद फोन पर उपरोक्त विवादित बिल के बारे में जानकारी से झटका लगा। एक जागरूक ग्प्रहक के नाते बिना बिल की हार्डकॉपी का किये और फोन पर बिल की जानकारी आते ही मैं अपने सभी बिलों का भुगतान करता आया हुँ परन्तु यह बिल जो 27 दिन के लिए बना है और रू0 1,34,036 का है, को देखकर ऐसा लगता है कि मुझे एक अच्छे उपभोक्ता होने की सजा दी गयी है। आप मेरे द्वारा दिये गये बिन्दुओं को ध्यान में रखकर मेरे पिछले उपभोग से भी निर्णय कर सकते है। महोदय इस संबंध में मैने अपनी शिकायत 30.09.2024 को उपखण्ड अधिकारी विद्युत वित उपखण्ड ऋषिकेश हरिद्वार रोड़ पर लिखित में दे दी गयी थी पर उसका कोई समाधान नहीं निकाला गया।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक 739, दिनांकित 06/11/2024 से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री भगवती प्रसाद पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद, निवासी– 215/01, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश के विद्युत संयोजन सं0– RK75228004372 के विद्युत की रीडिंग मीटर रीडर द्वारा वास्तविक रीडिंग के आधार पर निर्गत की गई है,, किन्तु मीटर की कुल रीडिंग एक स्लॉट पर ही की जा रही थी, जिसं कारण वास्तविक रीडिंग का बिल निर्गत नही किया जा रहा था, जिसकी संस्तुति एम0आर0आई रिर्पोट के आधार पर की गई है। उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर सं0 9550552 की जांच करने एवं एम0आर0आई0 कराने पर विद्युत मीटर में दिनांक 03.09.2024 को 28220 KWH एवं 36665 KVAH पाई गयी। उपभोक्ता को एम0आर0आई0 की रीडिंग के आधार पर रू0 134036 का विद्युत बिल निर्गत किया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री एंव एम0आर0आई0 रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का विद्युत मापक बदले जाने की तिथि दिनांक 04.06.2015 से 23.09.2024 के सभी विद्युत बिलों में मीटर की कुल रीडिंग के एक स्लॉट पर की रीडिंग की जा रही थी, जिस कारण वास्तविक रीडिंग का बिल जारी नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि 06/2015 के बाद परिवादी की विद्युत खपत अंकित करने में लापरवाही बरती गयी तथा मीटर रीडर द्वारा वास्तविक खपत दर्ज नही की गयी। इसका खामियाजा परिवादी को माह 09/2024 में उठाना पड़ा जब उसकी मासिक खपत 18423 यूनिट बिल में प्रदर्शित हुई। जो कि उसके Consumption Pattern से बहुत अधिक है। मीटर रीडिंग में बरती गई इस लापरवाही के कारण माह 09/2024 में अत्यधिक खपत दर्ज किये जाने से परिवादी की बिलिंग हायर टैरिफ स्लैब पर हुई। यहा पर माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering And Billing 5.2 Metering 5.2.1(8)** का उल्लेख करना भी आवश्यक है, जिसमें माननीय् आयोग द्वारा निम्न् प्रावधान बनाया गया है:–**The Licensee shall have no right to recover any charges beyond 2 years from the date such charges first became due unless such charges have been continusously shown as arrears in the bill.**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा सेवा में कमी और लापरवाही के कारण ही उक्त वाद की उत्पत्ति हुई है, ऐसी दशा में माननीय् UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित बिल दिनांक 23.09.2024 को निरस्त कर दिनांक 22.09.2022 से 23.09.2024 तक का वास्तविक विद्युत खपत का बिल एम0आर0आई0रिपोर्ट के अनुसार बनाये एवं बिल निर्धारण में नियामानुसार समय–समय पर लागू टैरिफ स्लैब के अनुसार करें एवं उक्त अवधि में परिवादी द्वारा भुगतान की गई धनराशि का समायोजन भी परिवादी को प्रेषित संशोधित बिल में किया जाना तर्कसंगत एवं न्ययोचित होगा।

इस प्रकरण से यह प्रतीत होता है मीटर रीडर या तो अप्रशिक्षित है अथवा उसने लारपरवाही/जानबूझकर वास्तविक रीडिंग दर्ज नहीं की है। मंच को यह भी प्रतीत हुआ है कि उपखण्ड/खण्ड के स्तर पर भी विद्युत बिलों की मॉनीटरिंग नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा यू0पी0सी0एल0 को राजस्व हानि के तौर पर उठाना पंड़ रहा है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 23.09.2024 को निरस्त करें एवं दिनांक 22.09.2022 से 23.09.2024 तक का वास्तविक विद्युत खपत का बिल एम0आर0आई0रिपोर्ट के अनुसार बिल निर्धारण में नियामानुसार समय–समय पर लागू टैरिफ स्लैब के अनुसार करें एवं उक्त अवधि में परिवादी द्वारा भुगतान की गई धनराशि का समायोजन भी परिवादी को प्रेषित संशोधित बिल में करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/02/2025	27/02/25	27.02.2025
(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 116/2024

श्री दीवन पूरन चन्द,
निवासी– 6, म्युनिसिपल रोड़,
जिला–देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,(केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

दिनांक : 28.02.2025

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या CD71232040005 के माह मार्च 2024 के विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पिछले कुछ वर्ष से उनके आवास पर बिजली की औसत खपत 900–1000 यूनिट प्रति माह के बीच है। हॉलाकि, मार्च 2024 के महीने में उन्हें 4878 यूनिट का बिल मिला जिसकी राशि रूपये 36,184/– थी। यह देखा गया है कि मीटर के डायल ओवर के समय ओपनिंग यूनिट 99452 थी और क्लोजिंग यूनिट 004330 यूनिट थी।

उपरोक्त के संबंध में उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 3048 दिनांकित 29/11/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री दीवान पूरन चन्द, निवासी– 06, म्यूनिसिपल रोड़ देहरादून के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

माह 02/2024 का बिल डॉयल ओवर स्टेटस में निर्गत हुआ है एवं उपभोक्ता की विगत 6 माह की खपत देखने पर उक्त माह का बिल अत्याधिक प्रतीत हो रहा है, चूकि डायल आवेर स्टेटस का बिल सिस्टम द्वारा जनरेट/अपडेट होता है इसलिये अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उक्त बिल का संशोधन सम्भवन नहीं है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 16/01/2024 से डॉयल ओवर होने की अवधि दिनांक 22/02/2024 अर्थात् 38 दिनों में 10 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 3574 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। अर्थात परिवादी द्वारा 38 दिन में 94.05 यूनिट अथात् 94 यूनिट प्रतिदिन की खपत की गई है। विपक्षी उक्त विवादित खपत को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। 10 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 94यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहे, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है।

विपक्षी द्वारा स्वयः अपनी आख्या में स्वीकार किया गया है कि उपभोक्ता की विगत 6 माह की खपत देखने पर उक्त माह का बिल अत्याधिक प्रतीत हो रहा है। विपक्षी उपरोक्त विवादित खपत को तकनीकि रूप से एम0आर0आई0 सहित साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 22/02/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक यूनिट 3574 निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 01/2024, 11/2023 एवं 09/2023 क्रमशः (1183+839+1404/3=1142 यूनिट) के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉंवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 22/02/2024 को प्रेषित विद्युत बीजक यूनिट 3574 निरस्तर कर उक्त विद्युत बीजक को पूर्व की तीन मीटर यूनिट बिल चक्रों की औसत खपत 01/2024, 11/2023 एवं 09/2023 क्रमशः (1183+839+1404/3=1142 यूनिट) के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/02/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28-02-202

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun - 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 117/2024

श्री कृपा राम डबराल
निवासी– 161 इंदरा नगर
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

दिनांक: 22/02/2025

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

I am writing this application to bring to your attention a significant discrepancy in my recent electricity bill. I Mr Kripa Ram Dabral resident of 161, Indira Nagar from past 40 years. My old electricity meter no is 946663 and connection no is SD16315037673 under Vasant Vihar. Sub-Station, Dehradun. Here, I would like to inform you that till 23 Dec., 2023 my entire billing dues were cleared & the meter reading on that day was 80951 units (Xerox copy attached)The sealing for the old meter was done on 29th December 2023 (5 days after the last billing cycle on

23rd December) & solar and electricity meter was installed on 29th December 2023 replacing old normal meter no. 946663. However the first bill after solar installation was received in first week of August 24 (almost eight months after installation of solar meter) & on close inspection of meter sealing document & bill it came to my notice that the meter reading at the time of sealing on 29th December was indicated as 86036 units. An increment of 5085 units in a space of 5-6 days. Clearly indicating erroneous entry at the time of sealing by sealing official. This error has resulted in an astronomically inflated electricy bill. Suprisingly here, I would like to highlight that which Govt/Authorised official came for the final meter sealing on 29th Dec. 23 never met me, Secondly there is no mention of the name in the bottom of the sealing document of the person in whose presence/witness sealing was undertaken (a requirement as per the sealing document form) thirdly at the bottom of the form instead of a name something totally illegible is scribbled. After looking at the increment of 5085 units within a space of 5-6 days for a single phase connection with a sanctioned load of 3 KWH & also analyzing my billing history of past 9 years (since 2015-billing history attached), it clearly appears to be a case of negligence on the part of sealing official in noting down of units at the time sealing. I am elderly retired Government servent and since all my previous bills have no dues and this last or current bill has whopping over charged meter reading so I am feeling mentally harassed at this age and have lot of mental trauma due to this discrepancy.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1108, दिनांकित 02/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता (मीटर), नगरीय विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), 18 ई0सी0 रोड़, देहरादून को उनके कार्यालय के पत्र संख्या 1039/वि0वि0उ0ख0 वंसत विहार दि0 19.11.2024 एवं पत्र संख्या 1100/वि0वि0उ0ख0 वसंत विहार/मीटर दिनांक 29.11.2024 से उपभोक्ता के परिसर पर पूर्व में लगे विद्युत मापक संख्या 946663 की एम0आर0आई0 करवा कर एम0आर0आई0 रिर्पोट तथा मीटर रीडिंग के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता (मीटर), नगरीय विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), 18 ई0सी0 रोड़, देहरादून ने अपने पत्र संख्या 327/वि0परी0श0 (द0) दिनांक 29.11.2024 से अवगत कराया है कि– "अवर अभियन्ता (मापक) द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है जिसमें उनके द्वारा उपभोक्ता श्री कृपा राम डबराल के पुराने बदले हुए मापक की सीलिंग प्रपत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया है कि पुराना मापक संख्या 946663 कोमेट् फर्म का था जिसकी एम0आर0आई0 कर पाना सम्भव नहीं है। सीलिंग प्रपत्र 07/791 एवं अवर अभियन्ता (मापक) द्वारा प्रस्तुत आख्या की छायाप्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है"।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड, वंसत विहार के पत्र दिनांकित 02.12.2024 का संज्ञान लिया गया जिसमें सहायक अभियन्ता (मीटर), नगरीय विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण) के पत्र दिनांक 29.11.2024 में उल्लेखित टिप्पणी कि पुराना मापक संख्या 946663 कोमेट फर्म का था, जिसकी एम0आर0आई कर पाना सम्भव नहीं है का संज्ञान लिया। पुराने उतारे गये मीटर की एम0आर0आई0 उपलब्ध न होने के कारण मंच इस मत का है कि दिनांक 23.12.2023 से दिनांक 29.12.2023 के मध्य मीटर में कोई त्रुटि उत्पन्न हुई जिस कारण उसमें इन 06 दिनों की अवधि में 5085 यूनिट दर्ज की गई जो कि एक 03 कि0वा0 के घरेलू संयोजन उपभोक्ता द्वारा उपभोग करना तकनीकी रूप से सम्भव नही है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच का मत है कि उक्त अवधि में पुराने मीटर को आई0डी0एफ0 मानते हुए विपक्षी मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7 (1) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों (10/2023, 11/2023, 12/2023) की औसत खपत के आधार पर उक्त अवधि में उपभोक्ता द्वारा की गई खपत की गणना कर उपभोक्ता को बिल चक्र 07/2024 का बिल संशोधित करें जो तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को तीन बिलिंग चक्रों (10/2023, 11/2023, 12/2023) की औसत खपत के आधार पर उक्त अवधि में उपभोक्ता द्वारा की गई खपत की गणना कर उपभोक्ता का बिल चक्र 07/2024 का बिल संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

22/02/2025	22/02/25	22.02.2025
(दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य	(रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य	(त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य